2019/00189

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री त्रिवेणी कांत
जाति पुरोहित
निवासी पाडीव
तहसील सिरोही जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
लोक सूचना अधिकारी
विकास अधिकारी पं. समिति
सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 14 वर्ष 2019

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
02.07.2019	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 8.2.2018 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत पाडीव के परिक्षेत्र बरली तिराहे पर मुख्य सडक के दाहिनी ओर स्थित कृषि भूमि पर बने मकानों के निर्माण हेतु जारी एन.ओ.सी., प्रमाण पत्र, भूरूपान्तरण आदेश, ग्राम सभा स्वीकृत प्रस्ताव की प्रति एवं उक्त मकानों के बाहर बने सी.सी. रोड हेतु ग्राम पंचायत पाडीव द्वारा कलये गये बैठक प्रस्ताव स्वीकृति व अनुमोदन प्रस्ताव की सूचनाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 8.2.2018 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत पाडीव के परिक्षेत्र बरली तिराहे पर मुख्य सडक के दाहिनी ओर स्थित कृषि भूमि पर बने मकानों के निर्माण हेतु जारी एन.ओ.सी., प्रमाण पत्र, भूरूपान्तरण आदेश, ग्राम सभा स्वीकृत प्रस्ताव की प्रति एवं उक्त मकानों के बाहर बने सी.सी. रोड हेतु ग्राम पंचायत पाडीव द्वारा कलये गये बैठक प्रस्ताव स्वीकृति व अनुमोदन प्रस्ताव की की प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। विकास अधिकारी पंचायत समिति सिरोही के अपील अधिकारी जिला कलक्टर नही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील क्षेत्राधिकार में नही है । अपीलांट की अपील परिपोषीय नही होने से अस्वीकार की जाती है। यदि अपीलांट चाहे तो सक्षम अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकता पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (सुरेन्द्र कुमार सोलंकी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned by CamScanner